बजट 2023-24

आत्मनिर्भर भारत के लिए सप्तऋषि संकल्पना

-डॉ. के.के. त्रिपाठी

कृषि को स्मार्ट, आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार और समावेशी बनाने के गंभीर और समयबद्ध प्रयास किए गए हैं। बजट में समुदाय के नेतृत्व वाले सहकारी विकास के मॉडल में भरोसा जताया गया है और विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे ग्रामीण रोज़गार, कृषि प्रौद्योगिकी सुधार/पुनरुद्धार/लिंकेज, पोषक अनाज केंद्रित विकास, स्मार्ट और आधुनिक कृषि पद्धतियों में नए प्रस्ताव और घोषणाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः ऊर्जावान बनाने की दिशा में बजट के रुख को दर्शाती हैं।

बजट 2023-24 को सात प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में बांटा गया है जो इन क्षेत्रों से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की केंद्र सरकार की नीतिगत मंशा को रेखांकित करता है। ग्रामीण रोज़गार पहलों, कृषि एवं संबंधित कार्यों जिसमें खेती सहित पशुपालन, मुर्गी पालन और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। खाद्य भंडारण, मालगोदाम और ग्रामीण आवास के लिए संसाधनों का अधिक आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के प्रमुख वाहकों में बदलने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। खरीदारों की बढ़ती मांग एवं समान और स्थायी रोज़गार सृजन के साथ-साथ प्राथमिकता वाली गतिविधियों में वृद्धिशील, सुनियोजित, प्रतिभागी और योजनाबद्ध सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित करते हुए बजट आर्थिक गतिविधियों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करता है। कृषि को स्मार्ट, आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार और समावेशी बनाने के गंभीर और समयबद्ध प्रयास किए गए हैं। बजट में समुदाय के नेतृत्व वाले सहकारी विकास के मॉडल में भरोसा जताया गया है और विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे ग्रामीण रोज़गार, कृषि प्रौद्योगिकी सुधार/पुनरुद्धार/लिंकेज, पोषक अनाज केंद्रित विकास, स्मार्ट और आधुनिक कृषि पद्धतियों में नए प्रस्ताव और घोषणाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः ऊर्जावान बनाने की दिशा में बजट के रुख को दर्शाती हैं।

केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणाओं से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 राष्ट्र के सामने पेश किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि का अनुमान लगाते हुए सर्वेक्षण ने कोविड-उपरांत दौर में भारत के अंतर्निहित आर्थिक लचीलेपन और विकास चालकों की क्षतिपूर्ति करने, सशक्त बनाने और पुनः सक्रिय करने की क्षमता पर प्रकाश डाला। इसने समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में कृषि और ग्रामीण विकास के महत्व को रेखांकित किया। भारतीय कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों के दौरान 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में इसमें 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस पृष्ठभूमि में यह लेख बजट 2023-24 में प्राथमिकता दिए जाने वाले कृषि तथा ग्रामीण आजीविका और रोज़गार संबंधी कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करके भारत सरकार की अंतर्निहित नीति की दिशा और सामाजिक-

लेखक गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय में ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई-मेल : tripathy123@rediffmail.com

आर्थिक मंशा की व्याख्या करने का प्रयास करता है।

प्राथमिकता क्षेत्रों पर पुनः ध्यान केंद्रित करना

बजट भाषण में सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ज़ोर दिया गया और इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के इरादों को रेखांकित किया गया। संपूरकता सुनिश्चित करते हुए बजट ने (i) समावेशी विकास; (ii) लक्षित उपभोक्ताओं को जोड़ना और अंतिम व्यक्ति तक पहुँच; (iii) बुनियादी ढांचे और निवेश में वृद्धि; (iv) अंतर्निहित उत्पादक क्षमता को उजागर करने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी लाना; (v) हरित विकास आधारित युक्तिपूर्ण पहलों के विकास और उन पर बल देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को घटाना; (vi) युवा शक्ति की खोज करना एवं उसे मजबूती प्रदान करना और आर्थिक विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना; और (vii) प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के संकल्प को व्यक्त किया। बजट घोषणाओं में युवाओं की भागीदारी की परिकल्पना करते हुए और ग्रामीण रोज़गार एवं आय वृद्धि को प्रोत्साहित करते हुए कृषि को भविष्य के लिए तैयार करने और समावेशी बनाने पर ज़ोर दिया गया है।

बजट आवंटन की समीक्षा

2022-23 के संशोधित अनुमान (आरई) और बजट अनुमान (बीई) की समीक्षा (तालिका-1) से ज्ञात होता है कि ग्रामीण रोज़गार पहल, कृषि कर्म जिसमें खेती और पशुपालन, मुर्गीपालन और अन्य गतिविधियां शामिल हैं, खाद्य भंडारण तथा मालगोदाम और आवास को अधिक आवंटन मिला। यह इन गतिविधियों के कार्यान्वयन प्राधिकरणों की अवशोषण क्षमता को दर्शाता है। ग्रामीण रोज़गार को 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट अनुमान में 22.46 प्रतिशत की वृद्धि मिली, कृषि एवं संबंधित कार्यों, खाद्य भंडारण एवं मालगोदाम और आवास के लिए क्रमशः 15.15 प्रतिशत, 34.17 प्रतिशत और 73.87 प्रतिशत का अंतर दर्ज किया गया। इस तरह के बढ़े हुए संसाधन आवंटन का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ रोज़गार सृजन, आय और धन सृजन और ग्रामीण भारत में समग्र उपभोग की मांग में वृद्धि करना है।

वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए आरई और बीई की समीक्षा इंगित करती है कि आवंटन में वृद्धि (तालिका-2 के कॉलम 9 और 11) के संदर्भ में कौशल विकास और उद्यमिता (एसडीई) को प्राथमिकता दी गई है जिसके बाद उसी क्रम में ग्रामीण विकास (आरडी); कृषि अनुसंधान और शिक्षा (एआरई); पशुपालन और डेयरी (एएचडी); सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई); महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) तथा कृषि और किसान कल्याण (एएफडब्ल्यू) को वरीयता दी गई है (तालिका-2)। जबकि एएफडब्ल्यू के लिए आवंटन में 2022-23 के बजट अनुमान से 6.83 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई लेकिन यह वास्तव में 2021-22 के वास्तविक व्यय और 2022-23 के संशोधित अनुमान से 0.93 प्रतिशत और 4.79 प्रतिशत अधिक था।

ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धिशील, नियोजित, भागीदारीपूर्ण और योजनाबद्ध निवेश, खरीदारों की उन्नत मांग और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रोज़गार सृजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हो सकते हैं। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए बजट में कृषि, कौशल निर्माण, डेयरी एवं मत्स्य विकास और एमएसएमई को प्राथमिकता दी गई है। एसडीई ने 2022-23 के आरई की तुलना में अपने बीई में 84.96 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जबकि एमएसएमई, एएचडी, एआरई, एएफडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडी ने अपने संबंधित 2023-24 बजट आवंटन में क्रमशः 41.65%, 39.38%, 9.76%, 4.79% और 6.42% की वृद्धि दर्ज की (तालिका-2)। हालाँकि आरडी योजनाओं में संसाधन आवंटन में 2022-23 (आरई) की तुलना में 2023-24 में 13.02% कमी देखी गई। यह आरडी विभाग की अतिरिक्त संसाधन अवशोषण क्षमता और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के अन्य उभरते क्षेत्रों के लिए संसाधनों को बांटने से संबंधित दायरे और लचीलेपन को इंगित करता है।

चुनिंदा विकास योजनाओं (तालिका-3) के व्यय और बजट आवंटन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए ग्रामीण आवास (पीएमएवाई) के प्रावधान, मत्स्य गतिविधियों (नीली क्रांति), जल और स्वच्छता (जल जीवन मिशन) ने नीति निर्माताओं और योजनाकारों का ध्यान आकर्षित किया है और इन्हें 2022-23 की बजाय 2023-24 में वृद्धिशील बजटीय आवंटन मिला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना में 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश से मछुआरों, मछली विक्रेताओं, कोल्डचेन और मछली उत्पाद परिवहन से संबंधित संचालन तंत्र और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों आदि से जुड़ी उत्पादक गतिविधियों को सक्षम करेगा। इससे न केवल मत्स्य क्षेत्र

तालिका-1: बजट अनुमान 2022-23 और संशोधित अनुमान 2022-23 (करोड़ रुपये) के बीच व्यय में भिन्नता

क्र. सं.	विषय	बीई	आरई	भिन्नता - बीई से आरई (% में)
1.	ग्रामीण रोज़गार	73,000	89,400	22.46
2.	फसल एवं संबंधित कार्यों	1,22,137	1,40,651	15.15
3.	खाद्य भंडारण और मालगोदाम	2,15,643	2,89,329	34.17
4.	आवास	12,072	20,990	73.87

स्रोतः एक्स्पेंडीचर प्रोफ़ाइल (स्टेटमेंट संख्या 3), केंद्रीय बजट 2023-24, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से संकलित

तालिका-2: 2016-17 और 2023-24 के दौरान चयनित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में वास्तविक व्यय और आवंटन

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग	वास्तविक व्यय/आवंटन (करोड़ रु.)									2023-24 में आवंटन में वृद्धि (%) से अंतर		
		16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23		23-24			
		वास्तविक						बीई	आरई	बीई	वास्तविक 21-22	आरई 22-23	बीई 22-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एएफडब्ल्यू	40,626	37,396	46,076	94,252	1,08,273	1,14,468	1,24,000	1,10,255	1,15,532	0.93	4.79	-6.83
2	एआरई	5,995	6,942	7,544	7,523	7,554	8,368	8,514	8,659	9,504	13.58	9.76	11.63
3	एएचडी	2,376	2,022	3,171	2,712	2,464	2,584	3,919	3,105	4,328	67.46	39.38	10.44
4	एमएसएमई	3650	6,202	6,509	6,698	5,455	14,980	21,422	15,629	22,138	47.78	41.65	3.34
5	आरडी	1,56,287	1,08,559	1,11,842	1,22,098	1,96,417	1,60,433	1,35,944	1,81,122	1,57,545	-1.80	-13.02	15.89
6	एसडीई	1,553	2,198	2,619	2,405	2,625	2,121	2,999	1,902	3,517	65.82	84.96	17.28
7	डब्ल्यूसीडी	17,097	20,396	23,026	23,165	19,231	21,655	25,172	23,913	25,449	17.52	6.42	1.10

स्रोतः व्यय प्रोफ़ाइल (विवरण संख्या-3), केंद्रीय बजट 2018-19 से 2023-24 तक संकलित, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

में मूल्य शृंखला दक्षता में सुधार होगा बल्कि देश-विदेश में मछली और मछली उत्पादों के बाज़ार का भी विस्तार होगा।

ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम

मजदूरी और स्वरोज़गार सृजन कार्यक्रमों को हमेशा ग्रामीण व्यवस्था में प्रभावी माना जाता है जो अन्यथा गरीबी के उच्च स्तरों, कम श्रम बल भागीदारी और श्रम बल के आकस्मिकीकरण में वृद्धि से ग्रस्त है। बजट में राज्यों/संघशासित प्रदेशों को लागू करने की अवशोषण क्षमता पर विचार किया गया और मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 14,129 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो गुणवत्तापूर्ण और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों और उद्यमों के निर्माण के लिए मौजूदा मजदूरी और स्वरोज़गार कार्यक्रम हैं। हालांकि मनरेगा और एनएलएम में 2022-23 के बजट अनुमान (तालिका-3) के मुकाबले आवंटन में क्रमशः 17.8% और 0.8% की कमी देखी गई।

मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवंटन में योजनाबद्ध पहलों के अपेक्षित परिणाम के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। इस योजना में बड़ी वित्तीय अवशोषण क्षमता है। हालांकि समय की मांग है कि ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा की जाए तथा उसे पुनर्जीवित किया जाए और स्थायी सामुदायिक संपत्ति, आय और धन पैदा करने में कार्यान्वयन को प्रभावी बनाया जाए।

सामुदायिक स्तर पर गुणवत्ता विशेषज्ञों का एक पेशेवर कैडर बनाने की अत्यंत आवश्यकता है जो मनरेगा के तहत समय-समय पर परिणाम आधारित सार्वजनिक कार्यों की योजना और निगरानी सुनिश्चित करेगा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह कदम इन उद्देश्यों को भी सुनिश्चित करेगा- (अ) स्थायी और टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना; (ब) कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी, आदि जैसे सहयोगी विभागों के परामर्श से उपयुक्त अभिसरण का लाभ उठाना; और (स) मनरेगा कार्यों के माध्यम से सिंचाई क्षमता का विस्तार। अधिसूचित गतिविधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से चारा उत्पादन के लिए मनरेगा निधियों के उपयोग पर बल देने से पशुधन क्षेत्र को काफी हद तक मदद मिलेगी और कृषि आय बढ़ाने के लिए उचित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित होगा।

एनएलएम के दो महत्वपूर्ण स्वरोज़गार हेतु योजनाबद्ध प्रयास हैं- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)। बजट में 2 लाख करोड़ रुपये के संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण के संवितरण को सक्षम करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजी संचार के माध्यम से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों की क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई डीएवाई-एनआरएलएम के ग्रामीण उद्यमिता विकास दृष्टिकोण का उद्देश्य एक उत्प्रेरक स्थानीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को अपने बूते पर स्थानीय उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अधिक स्वयंसहायता समूहों को जुटाने पर बल देने, ग्रामीण गोदामों और अन्य कृषि संभार तंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए उनकी सहायता लेने से ग्रामीण विकास के प्रयासों को कृषि बुनियादी ढांचे के साथ जोड़कर ग्रामीण आजीविका और आय में सुधार करने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान एनएलएम के तहत स्थापित और सहायता प्रदान किए जाने वाले नए और अभिनव प्रस्तावित

वर्ष 2023-24 के दौरान एनएलएम के तहत स्थापित और सहायता प्रदान किए जाने वाले नए और अभिनव प्रस्तावित ग्रामीण उद्यम (अ) स्वयंसहायता समूहों और किसानों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करेंगे; (ब) घरेलू आय में वृद्धि करेंगे; (स) लाखों ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोज़गार सुनिश्चित करेंगे; और (द) सामुदायिक स्तर पर कृषि संभार तंत्र की सुविधा प्रदान करेंगे।

ग्रामीण उद्यम (अ) स्वयंसहायता समूहों और किसानों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करेंगे; (ब) घरेलू आय में वृद्धि करेंगे; (स) लाखों ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोज़गार सुनिश्चित करेंगे; और (द) सामुदायिक स्तर पर कृषि संभार तंत्र की सुविधा प्रदान करेंगे।

कृषि विकास के माध्यम से आजीविका और रोज़गार

बजट में उत्पादन, उत्पादन क्षमता, कृषि और गैर-कृषि लाभ और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। सरकार के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित के लिए सक्रिय सहभागी प्रयास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है- (1) सर्वांगीण जल योजना द्वारा जल की कमी को घटाना; (2) प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना (3) उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना; (4) कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और अन्य ग्रामीण समूहों को प्रोत्साहन और सहायता के माध्यम से ऑपरेशन ग्रीन की पहलों को मज़बूती प्रदान करना; (5) कृषि गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, रीफर वैन जैसी कृषि-संभार तंत्र सुविधाओं को स्थापित करना और बढ़ाना; (6) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से तालुका स्तर पर इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए मौजूदा कृषि-संभार तंत्र की मैपिंग और जियो-टैगिंग और व्यवहार्यता वित्तपोषण सुनिश्चित करना; (7) सामुदायिक नेतृत्व वाले ग्राम भंडारण के निर्माण और संचालन के माध्यम से भंडारण क्षमता को बढ़ाना और किसानों की माल ढुलाई लागत को कम करना; (8) असंयोजित क्षेत्रों को जोड़ना, एक राष्ट्रीय शीत आपूर्ति शृंखला का निर्माण और उसे जारी रखना; (9) ई-नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रसीदों को ई-नाम के साथ एकीकृत करना; (10) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से चारा फार्मों का विकास करना; (11) सामूहिक प्रयासों से मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना, बढ़ावा देना और लाभकारी बनाना; (12) प्रत्येक पंचायत/गाँव में प्राथमिक डेरी सहकारिताओं का सृजन सुनिश्चित करके दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना करना; और (13) 20 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए कृषि ऋण लक्ष्य का सफलतापूर्वक उपयोग करना।

डिजिटल आधारभूत संरचना पर ज़ोर

पिछले कुछ वर्षों में क्रमबद्ध सार्वजनिक पहलों में भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने और लाखों नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लक्षित किया गया था। बजट 2023-24 ने निरंतर उत्पादकता वृद्धि के उद्देश्य से छोटे उद्यमों के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों और कमज़ोर वर्गों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा उपयोग के लिए एक विशेष दृष्टिकोण अपनाने एवं नए सिरे से और सटीक ध्यान देने की घोषणा की गई है।

बजट ने कृषि के लिए एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य डिजिटल जन अवसंरचना के निर्माण की सुविधा देकर एक अति आवश्यक विकास पथ तैयार किया है। यह पहल समावेशी विकास की प्राथमिकता के अनुरूप है। इसमें फसल नियोजन और फसल स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक, समय पर और पर्याप्त सूचना सेवाओं को सक्षम करने, कृषि इनपुट सेवाओं जैसे ऋण, उपभोक्ता हितधारकों के लिए बीमा सुविधा, फसल आकलन के लिए सहायता, त्वरित और प्रभावी क्षति मूल्यांकन, बाज़ार की जानकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने में बेहतर पहुँच को सक्षम करने की ज़बर्दस्त क्षमता है।

कृषि के लिए डिजिटल बुनियादी अवसंरचना सुनिश्चित करने का यह प्रयास न केवल आधुनिक कृषि पद्धतियों और आधुनिक आंकड़ा विश्लेषण-आधारित फसल योजना और कृषि विकास को उत्प्रेरित करेगा बल्कि वृद्धिशील कृषि रोज़गार भी सुनिश्चित करेगा जिसमें शिक्षित और बेरोज़गार स्थानीय युवा आवश्यक कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही, बुनियादी अवसंरचना पर दिए जाने वाले इस बल से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रासंगिक गतिविधि-अनुरूप आंकड़ा विश्लेषणात्मक मॉडल का उपयोग करके आरम्भ से अंत तक डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

बजट में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक **कृषि वर्धक निधि** स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। इस निधि की स्थापना सही कदम है क्योंकि यह नवाचार को बढ़ावा देगा और देश के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के लिए किफायती और स्थान विशेष समस्या-आधारित समाधान प्रदान करेगा। आधुनिक, टिकाऊ और लागत प्रभावी कृषि पद्धतियों को अपनाना सुनिश्चित करने के लिए निधि के प्रावधान अधिक समकालीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करेंगे। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कृषि गतिविधियों में उत्पादकता

प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन नामक एक नई योजना आरंभ की गई है जिसके लिए 459 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहन देना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर कृषि क्षेत्र को घटाना और प्रकृति-संचालित स्वस्थ कृषि की ओर अग्रसर होना है।

तालिका-3: चुनिंदा योजनाओं के लिए व्यय और बजट आवंटन

योजनाएं	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	बीई	बीई 2022-23 से बीई 2023-24 का अंतर
	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24	(% में)
1	2	3	4	5	6
1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	98,468	73,000	89,400	60,000	-17.8
2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	8,152	9,652	9,652	9,636	-0.2
3. नीली क्रांति	1,179	1,891	1,422	2,025	7.1
4. जल जीवन मिशन	63,126	60,000	55,000	70,000	16.7
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	32,958	37,160	33,708	36,785	-1.0
6. राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनएलएम) - आजीविका	10,177	14,236	13,886	14,129	-0.8
7. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	90,020	48,000	77,130	79,590	65.8
8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	13,992	19,000	19,000	19,000	0.0
9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	11,278	12,954	8,085	10,787	0.0
10. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	3,099	7,192	5,000	7,192	117.4
11. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण	-	350	350	968	176.6
12. प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन	-	-	-	459	-

स्रोतः व्यय की रूपरेखा (विवरण संख्या 4 ए) से संकलित, केंद्रीय बजट 2023-24, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से एक क्लस्टर-आधारित और मूल्य-शृंखला दृष्टिकोण की योजना बनाई गई है जिसके द्वारा इनपुट और विस्तार सेवाओं की आपूर्ति और बाज़ार से प्रभावी जुड़ाव के लिए किसानों, राज्य और उद्योगों के बीच सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित किया जा सके जिससे कपास की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि संभव हो सकेगी। इसके अलावा, 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए **आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम** के माध्यम से बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

पोषक अनाजों को प्रोत्साहन

बजट 2023-24 में मिलेट (मोटे अनाज) के उत्पादन और खपत की वृद्धि को प्रोत्साहन देने पर उचित बल दिया गया है। भूले-बिसरे खाद्य पदार्थ बनते जा रहे मिलेट में भावी पीढ़ी के लिए खाद्यान्न बनने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है ताकि इसे एक सुपरफूड और ऐसे खाद्यान्न के रूप में प्रोत्साहित किया जा सके जो पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देता है। मिलेट यानी ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, चीना आदि के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों को मानते हुए बजट ने भारत को मिलेट के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का बीड़ा उठाया है। देश के कृषि संस्थानों के माध्यम से सर्वोत्तम पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने के लिए सहायक सेवाएं मिलेट की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने और जैव विविधता, कृषि पारिस्थितिकी, पोषण और स्वास्थ्य के एकीकरण का एक तरीका है।

मिलेट के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने से भारत के छोटे और सीमांत किसानों को काफी हद तक लाभ होगा और उन्हें अपनी कृषि प्रणालियों और कार्यों, जानकारियों तथा खाद्य उत्पादन, खपत एवं वितरण के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सभी के लिए स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन की परिकल्पना साकार करने के लिए (क) सामुदायिक बीज सहकारी समितियों की मदद से मिलेट के गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान, संरक्षण, साझाकरण और गुणन (ख) ग्राम स्तर पर वृद्धिशील और विशिष्ट बीज सहकारी समितियों या बीज समूहों का गठन (ग) लघु स्तर पर बीज प्रसंस्करण, निर्माण, पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना (घ) बीज वितरण तंत्र को मज़बूत और विस्तारित करना, आदि पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

सहकारिता में विश्वास जताना

बजट में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में अनाज भंडारण क्षमता का निर्माण सुनिश्चित

करने का संकल्प लिया गया है। भारत में ग्राम/सामुदायिक स्तर पर अच्छी और वैज्ञानिक कृषि अवसंरचना सुविधाओं का अभाव है। केंद्र सरकार का यह निर्णय पैक्स और अन्य प्राथमिक समितियों द्वारा सहकारी समितियों के किसान सदस्यों को विभिन्न भंडारण और गोदाम सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी अवसंरचना स्थापित करने के आवश्यक अवसर प्रदान करेगा। इससे किसानों को मजबूरी में अपनी उपज को बेचना नहीं पड़ेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर कम कीमत पर भंडारण करने और बाद में बिक्री से लाभकारी दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बजट में अगले पांच वर्षों में सभी पंचायतों/गाँवों में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य पालन और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। यह सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण स्तर पर समुदाय आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के भारत सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

सहकारी व्यवसायों के विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय की हालिया पहलों में शामिल हैं : 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण; राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार करना; पैक्स के मॉडल उपनियमों को राज्यों में प्रचलित करना जिससे वे बहु-आयामी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों में परिवर्तित हों, आदि। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, जैविक खेती और निर्यात के क्षेत्रों में तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता, हितधारकों के बीच प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और विपणन योग्य अधिशेष के लाभदायक निपटान के मुद्दों के समाधान और इस प्रकार आर्थिक विकास के मौजूदा सहकारी मॉडल को पुनर्जीवित करने में बहुत सफल होगा। सहकारी समितियों में सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है- चाहे वह भारत सरकार हो, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकार के विभाग हों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राज्य सहकारी संघ और राष्ट्रीय/राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की सहकारी संस्थाएं/संघ हों जो सहकारी रूप से अविकसित क्षेत्रों में डेयरी, मत्स्य पालन, बहुउद्देश्यीय पैक्स और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों को बढ़ावा दें और उनका पोषण करें। सहकारी समितियों को विशेष रियायतें और छूट जैसे नए विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर की दर 15% कम करना, सहकारी चीनी मिलों के पुराने कर दावों के निपटान का प्रावधान करना, नकद निकासी के लिए प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों के लिए सीमा बढ़ाना, वार्षिक नकद निकासी पर स्रोत पर कर कटौती के लिए लागू सीमा को बढ़ाना, आदि से सहकारी समितियों के माध्यम से व्यापार में अधिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर, समृद्ध और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बजट का सात प्राथमिकताओं वाला एजेंडा समय की आवश्यकता है। बजट 2023-24 में युवाओं की सक्रिय भागीदारी, ग्रामीण रोज़गार और आय वृद्धि को प्रोत्साहित करने की निश्चितता जतलाते हुए, कृषि को स्मार्ट, आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार और समावेशी बनाने के लिए गंभीर और समयानुकूल प्रयास किए गए हैं। इसने समुदाय के नेतृत्व वाले सहकारी विकास के मॉडल में अपना विश्वास दोहराया है।

ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों-मज़दूरी रोज़गार (मनरेगा) और स्वरोज़गार (डीएवाई-एनआरएलएम) पर ज़ोर न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और आय बढ़ाने में सरकार के संकल्प को इंगित करता है बल्कि योजनाबद्ध गतिविधियों के उपयुक्त बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करके बहुप्रतीक्षित अभिसरण को भी लाता है। बजट में अपने बहु-विषयी और बहु-आयामी दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी स्थानीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को अपने दम पर स्थानीय उद्यम को अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राम उद्यमिता विकास अवधारणा को मज़बूत करने की उम्मीद जताई गई है। सहकारी विकास पर ध्यान केंद्रित कर, प्रयासों के सामूहिकीकरण और स्वयंसहायता समूहों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करके ग्रामीण गोदामों के निर्माण और अन्य कृषि-संभार तंत्रों के संचालन के लिए सहायता सेवाओं की सुविधा से ग्रामीण विकास के प्रयासों को कृषि बुनियादी ढांचे के साथ जोड़कर ग्रामीण आजीविका और आय में सुधार करने में मदद मिलेगी।

विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में प्रस्तावित पहल और घोषणाओं जैसे ग्रामीण रोज़गार, ग्रामीण और कृषि प्रौद्योगिकी सुधार/ पुनर्गठन/ लिंकेज, कृषि उत्पादों की बेहतर दाम प्राप्ति, ग्रामीण कनेक्टिविटी, केंद्रित पोषक अनाज विकास, स्मार्ट और आधुनिक कृषि पद्धतियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यक क्षमता है। यह बजट सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नवोन्मेषी और सहभागी निवेश अवसरों; ग्रामीण और कृषि अवसंरचना के निर्माण, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन और कृषि एवं किसान कल्याण आदि मंत्रालयों/विभागों की योजना पहलों के एकीकरण और अभिसरण को सुनिश्चित करने का भी आह्वान करता है। हालांकि वास्तविक चुनौती यह है कि विकास के प्रयासों को कैसे अभिसरित किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और लाभकारी रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण/कृषि उद्यमों के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे किया जाता है! ❑